न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल पी. ओ0
19-8-19	आज यह पत्रावली वकील वादी की तरफ से 151 जाब्ता दीवानी का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने पर पेशी पर ली गई। प्रार्थनापत्र व निर्णय का अवलोकन किया। निर्णय के शीर्षक में वाद सं० व दायरा दिनांक गलत अंकित है। लाल स्याही से वाद सं० व दायरा दिनांक सही अंकित किया जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। [signature]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री राजकुमार कस्वा आ0ए0एस0

मुकदमा संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
25/19 264/09	07.03.2019 11/11/09	6.8.2019

1. कमला देवी पत्नी श्री गंगाराम जाति माली
2. दिनेश पुत्र श्री गंगाराम
3. जितेन्द्र पुत्र श्री गंगाराम नाबा. जर्ये सरपरस्त माता खुद कमलादेवी पत्नी श्री गंगाराम जाति माली साकिन कोटकासिम जिला अलवर राज0।

:– वादीगण

:: बनाम ::

1. अशोक कुमार पुत्र श्री मूलचन्द कौम खटीक साकिन कोटकासिम।
2. मीना देवी पत्नि किशोरी लाल जाति खाती साकिन कोटकासिम।
3. चिरंजी लाल
4. रामू
5. थावर पुत्रान केशूराम
6. भगवति पुत्री केशूराम
7. अनूप पुत्र रामचन्दर खाती साकिन एल–34, सोन बाजार रोड राजापुरी उत्तम नगर नई दिल्ली–59
8. कृष्णा देवी पत्नि बाबूलाल जाति अहीर साकिन कोटकासिम
9. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी अधिकारी (लैण्ड होल्डर) तहसीलदार साहब, कोटकासिम जिला–अलवर राज0।

:– असल प्रतिवादीगण

10. सुनीता
11. सरोज
12. मीरा पुत्रीयान गंगाराम कौम माली साकिन कोटकासिम जिला–अलवर

:–तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा तकासमा आराजी बमय हुक्मइम्तनाई दवामी
जेर दफा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. श्री भगवान यादव अभिभाषक वादीगण
2. श्री राजाराम यादव अभिभाषक प्रतिवादीगण

उप खण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

प्रार्थी ने मय अभिभाषक न्यायालय में उपस्थित होकर दावा तकासमा आराजी मय हुक्मइम्तनाई दवामी जेर दफा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 इस आशय का पेश किया कि विवादित हाल आराजी ख0 सं0 1328/2 रकबा 5 बीघा वाके ग्राम कोटकासिम जिला–अलवर स्थित है। जो आराजी प्रस्तुत वाद में विवादित आराजी कहलावेगी। वास्ते मुलाहिजा नकल जमाबंदी सं0 2063–66 संग्लन है। विवादित आराजी हम वादीगण व असल प्रति0 एवं तर0 प्रति0 की संयुक्त कब्जा काश्त खातेदारी की अबट आराजी है जिस पर हम सामलात में काबिज दखिल होकर काश्त कारोबार करते चले आ रहे है। राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो रहा है तथा लगान सरकारी अदा करते चले आ रहे है तथा विवादित आराजी का पक्षकारान के मध्य आज तक कोई तकासमा बटवारा नहीं हुआ है। विवादित आराजी का पक्षकारान के मध्य आज तक कोई तकासमा बटवारा नहीं हुआ है। विवादित आराजी में हम वादीगण व तर0 प्रति0 का 6/7 दर 1/7 भाग खातेदारी का है तथा प्रतिवादी सं0 1 का 1/98 भाग प्रतिवादी सं0 2 का 1/98 भाग है तथा शेष हिस्सा प्रतिवादी सं0 3 लगायत 8 का है तथा इसी कदर से काबिज व दखिल होकर काश्त कारोबार करते चले आ रहे है। विवादित आराजी का पक्षकारान के मध्य आज तक कोई तकासमा नही हुआ है तथा कानूनन जब तक वास्तविक बटवारा नहीं हो जाता है तब तक प्रत्येक इंच भूमि पर प्रत्येक हिस्सेदार का सम्पूर्ण हक हिस्सा निहित है। लेकिन प्रतिवादी सं0 1 व 2 आये दिन हम वादीगण व तर0 प्रति0 के सामलाती कब्जा काश्त में मजाहमत व मदाखलत पैदा करते रहते है तथा प्रतिवादी सं0 1 व 2 बिला तकासमा कराये ही विवादित आराजी को खुर्द बुर्द करना वो नींव खोदकर निर्माण करना चाहते है ऐसी सूरत में अब हम वादीगण वो तर0 प्रति0 का असल प्रति0 के साथ सामलात में काबिज रहकर काश्त करना सम्भव नही रहा है। इसलिऐ हम वादीगण व तर0 प्रति0 अपने हिस्से 6/7 दर 1/7 भाग का तकासमा बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स कराकर अलग से कुरेजात कायम कराने व अलग से लगान खाता कायम कराने का हकदार हूँ कि जिसके लिऐ दावा तकासमा दायर करना लाजिम आया है। अलस प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने दिनांक 10.11.2009 को जब्रन हम वादीगण व तर0 प्रति0 को विवादित आराजी से बेदखल करने का असफल प्रयास किया व ऐलानिया तोर पर धमकी दी कि वो विवादित आराजी में बिला तकासमा कराये ही जब्रन नीव खोदकर निर्माण करेगें। यदि वाकई असल प्रतिवादी सं0 1 व 2 अपने इन नापाक मंसूबों को अमलीजामा पहनाने में कामयाब हो गये तो वादीगण को हर सूरत में अजहद हानि होगी दीगर मुकदमा बाजी में उलझना पडेगा, हकूक वादीगण पर आवरण छा जावेगा जिसकी पूर्ति किसी भी कीमत में रूपयो में नहीं आंकी जासकेगी। इसलिऐ वादीगण प्रति0 को जरिये हुक्मइम्तनाई दवामी पाबन्द कराने के हकदार है।

दावा हाजा में तकासमा की स्तदुआ की गयी है इसलिऐ प्रतिवादी संख्या 9 को पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। पक्षकारान व विवादित आराजी वाके हदूद अदालत श्रीमान है। अतः वादपत्र काबिल सामअक अदालत श्रीमान है। वादपत्र हेतु बिनायदावी व बिनाय मुखासमत दिनांक 10.11.2009 को उत्पन्न हुई है कि जिससे दावा हाजा ममूलन अन्दर अवधि पेश है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जवाब दावा पेश किया

Scanned by CamScanner

जिसमें अंकित किया कि आराजी ख0 सं0 1328/2 रकबा 5 बीघा ग्राम कोटकासिम सही है स्वीकार है। बाकी जिमन गलत है स्वीकार नही है आराजी को गलत रूपसे विवादित बनाया गया है। विवादित आराजी पर काबिज खरीद से ही हम प्रतिवादीगण 1, 2 अपने हिस्से पर काबिज व दखिल चले आ रहे है अपने उपयोग उपभोग मे लेते आ रहे है तथा इसी कदर अन्य पक्षकारान भी अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर उपयोग उपभोग में लेते आ रहे है। आराजी को हम प्रतिवादीगण 1 जरिये रजिसटर्ड बयनामा बाजाप्ता बाकब्जा समस्त प्रतिफल अदा कर राजेन्द्र पुत्र गंगाराम का हिस्सा खरीद किया है तथा मौके पर राजेन्द्र ने अपने हिस्से पर हमारा कब्जा करा दिया था तब से ही यानि वक्त खरीद दिनांक 11.04.2007 बहक अशोक कुमार वो दिनांक 11.06.2008 बहक मीना कुमारी काबिज है। उक्त आराजी का बेचान प्लाटो में किया गया है तथा मौके पर प्लाट है समस्त पक्षकारान अपने अपने हिस्से के रकबा पर काबिज है। खरीद से पूर्व राजेन्द्र अपने हिस्से पर काबिज था जिसने अपने हिस्से के रकबा पर ही हम प्रति0 को कब्जा दिया है। हम प्रतिवादीगण 1, 2 के आराजी खरीदने से पूर्व हीराजन्द्र विक्रेता व अन्य सहहिस्से दारान के मध्य बहामी बंटवारा हो रहा था तब उक्त बहामी बंटवारा के आधार पर ही हमने आराजी को खरीद किया है तथा क्रय शुदा प्लाटो पर हम काबिज है। बयनामा भी प्लाटो का ही हुआ है। वादीगण द्वारा गलत तथ्यो के आधार पर वाद पेश किया है। जो काबिले खारीज है।

वक्त खरीद से ही हम अपने हिस्से के रकबा पर शान्ति पूर्वक काबिज होकर अपने उपयोग उपभोग में लेते आ रहे है। दिनांक 10.11.2009 की कहानी वादीगन ने बनावटी मिथ्या मनघडन्त दर्ज की है। मिथ्या वाद की आड में वादीगण हमको हमारे खरीद शुद्धा रकबा से जबरन बेदखल कर कब्जा करने की जुस्तजू में है जिनको ऐसा करने का कोई कानूनी हक अधिकार हांसिल नही है। दावा वादी नाकाबिले पाबन्दी काबिले खारीज है। वाद हेतु दिनांक 10.11.2009 या अन्य कोई तारीख पैदा नही होती है चूंकि प्रतिवादी सं0 1 अशोक कुमार ने विवादित आराजी मे से प्लाट जरिये बयनामा दिनांक 11.04.2007 को खरीद किया है तथा मीना कुमारी ने दिनांक 11.06.2008 को बाकब्जा खरीद किया हुआ है तथा वक्त खरीद से ही हम अपने खरीद शुदा रकबा प्लाट पर काबिज होकर उपयोग उपभोग इस्तेमाल में लेते आ रहे है। इसलिए वाद वादीगण बेरून मियाद काबिले खारीज है। प्रतिवादीगण ने विवादित आराजी में से भूखण्ड प्लाट जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 11.04.2007 एवं 11.06.2008 को बाकब्जा राजेन्द्र ने अपने हिस्सा जो उसके बंटवारे में आया हुआ है उस पर कब्जा दिया था। इसलिए आराजी का पक्षकारान के मध्य पूर्व में ही बहामी बंटवारा हो रहा था। इसलिए वादीगण किसी भी प्रकार से विवादित आराजी को तकसीम कराने के अधिकारी नही है आराजी का पूर्व में ही बंटवारा हो चुका है। इसलिए आराजी का अब किसी प्रकार से कोई बटंवारा नही हो सकता है। जब मिन प्रतिवादीगण अपने खरीद शुदा भूखण्ड प्लाट पर वक्त खरीद से काबिज होकर अपने उपयोग मौके पर सभी खातेदारान हिस्सेदारान का अपने हिस्से रकबा पर कब्जा है। इसलिए वाद वादीगण नाकाबिले पाबन्दी काबिले खारीज है। तथा वादीगण किसी प्रकार की कोई रिलीफ प्राप्त करने के अधिकारी नही है। अतः जवाब दावा पेशकर निवेदन है कि वादी वादीगण मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

खण्ड अधिकारी

प्रतिवादी संख्या 3 ने अपने जवाब में अंकित किया कि आराजी हाल ख0 न0 328/2 रकबा 5 बीघा वाके ग्राम कोटकासिम स्थित है। वास्तविकता यह है कि विवादित आराजी पूर्व से पश्चिम लम्बी व उत्तर से दक्षिण चौडी है। मौके पर पक्षकारान के मध्य बटवारा हो रहा है और पक्षकारान अपने –अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। पुक्ता डोल सभी खातेदार की अलग है। सभी अपने–अपने हिस्से पर सांती पूर्वक काबिज काश्त है। प्रतिवादी संख्या 3 विवादित आराजी के तरफ दक्षिण में आये हिस्से पर काबिज काश्त है। वादपत्र के सभी तथ्य गलत दर्ज किये गये है अतः दवा खारिज फरमाया जावे। प्रतिवादी संख्या 10 ने अपने जवाब में अपना इकबाल पेश किया। जिसमें अंकित किया कि मुताबिक वाद दावा डिक्री कर दिया जावे तो मुझे कोई आपत्ति नही है।

वादपत्र में दिनांक 28.06.2018 को कैम्प कोर्ट में प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई एवं तहसीलदार कोटकासिम को बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस तकासमा कर भिजवाने के लिए अहकाम जारी किया गया। तहसीलदार कोटकासिम ने विभाजन प्रस्ताव तैयार कर इस कार्यालय में भिजवाये गये। प्रार्थीया कमला की ओर से ऐतराज प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसका जवाब पेश किया गया।

विद्वांन अधिवक्ता वादीगण की बहस सुनी गई। वादीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वादपत्र में अंकित तथ्यो को दौहराया ओर कहा कि तहसीलदार कोटकासिम से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय 18 से 21 की पालना पूर्ण कर भिजवाई गई है। अतः मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद को डिक्री कर दिया जावे।

विद्वांन प्रतिवादी अधिवक्ता का अपनी बहस में कथन है कि विवादित हाल आराजी ख0 सं0 1328/2 रकबा 5 बीधा वाके ग्राम कोटकासिम जिला–अलवर स्थित है। जो आराजी प्रस्तुत वाद में विवादित आराजी कहलावेगी। वास्ते मुलाहिजा नकल जमाबंदी सं0 2063–66 संग्लन है। विवादित आराजी हम वादीगण व असल प्रति0 एवं तर0 प्रति0 की संयुक्त कब्जा काश्त खातेदारी की अबट आराजी है जिस पर हम सामलात में काबिज दखिल होकर काश्त कारोबार करते चले आ रहे है। राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो रहा है तथा लगान सरकारी अदा करते चले आ रहे है तथा विवादित आराजी का पक्षकारान के मध्य आज तक कोई तकासमा बटवारा नहीं हुआ है। विवादित आराजी का पक्षकारान के मध्य आज तक कोई तकासमा बटवारा नहीं हुआ है। विवादित आराजी में हम वादीगण व तर0 प्रति0 का 6/7 दर 1/7 भाग खातेदारी का है तथा प्रतिवादी सं0 1 का 1/98 भाग प्रतिवादी सं0 2 का 1/98 भाग है तथा शेष हिस्सा प्रतिवादी सं0 3 लगायत 8 का है तथा इसी कदर से काबिज व दखिल होकर काश्त कारोबार करते चले आ रहे है। विवादित आराजी का पक्षकारान के मध्य आज तक कोई तकासमा नही हुआ है तथा कानूनन जब तक वास्तविक बटवारा नहीं हो जाता है तब तक प्रत्येक इंच भूमि पर प्रत्येक हिस्सेदार का सम्पूर्ण हक हिस्सा निहित है। लेकिन प्रतिवादी सं0 1 व 2 आये दिन हम वादीगण व तर0 प्रति0 के सामलाती कब्जा काश्त में मजाहमत व मदाखलत पैदा करते रहते है तथा प्रतिवादी सं0 1 व 2 बिला तकासमा कराये ही विवादित आराजी को खुर्द बुर्द करना वो नींव खोदकर निर्माण करना चाहते है ऐसी सूरत में अब हम वादीगण वो तर0 प्रति0 का असल प्रति0 के साथ सामलात में काबिज रहकर काश्त

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

करना सम्भव नही रहा है। इसलिऐ हम वादीगण व तर0 प्रति0 अपने हिस्से 6/7 दर /7 भाग का तकासमा बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स कराकर अलग से कुरेजात कायम कराने व अलग से लगान खाता कायम कराने का हकदार हूँ कि जिसके लिऐ दावा तकासमा दायर करना लाजिम आया है। अलस प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने दिनांक 10.11.2009 को जब्रन हम वादीगण व तर0 प्रति0 को विवादित आराजी से बेदखल करने का असफल प्रयास किया व ऐलानिया तोर पर धमकी दी कि वो विवादित आराजी में बिला तकासमा कराये ही जब्रन नीव खोदकर निर्माण करेगें। यदि वाकई असल प्रतिवादी सं0 1 व 2 अपने इन नापाक मंसूबों को अमलीजामा पहनाने में कामयाब हो गये तो वादीगण को हर सूरत में अजहद हानि होगी दीगर मुकदमा बाजी में उलझना पडेगा, हकूक वादीगण पर आवरण छा जावेगा जिसकी पूर्ति किसी भी कीमत में रूपयो में नहीं आंकी जासकेगी। इसलिऐ वादीगण प्रति0 को जरिये हुक्मइम्तनाई दवामी पाबन्द कराने के हकदार है।

विद्वांन अधिवक्ता प्रतिवादी का कथन है कि आराजी ख0 सं0 1328/2 रकबा 5 बीघा ग्राम कोटकासिम सही है स्वीकार है। बाकी जिमन गलत है स्वीकार नही है आराजी को गलत रूपसे विवादित बनाया गया है। विवादित आराजी पर काबिज खरीद से ही हम प्रतिवादीगण 1, 2 अपने हिस्से पर काबिज व दखिल चले आ रहे है अपने उपयोग उपभोग मे लेते आ रहे है तथा इसी कदर अन्य पक्षकारान भी अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर उपयोग उपभोग में लेते आ रहे है। आराजी को हम प्रतिवादीगण 1 जरिये रजिसटर्ड बयनामा बाजाप्ता बाकब्जा समस्त प्रतिफल अदा कर राजेन्द्र पुत्र गंगाराम का हिस्सा खरीद किया है तथा मौके पर राजेन्द्र ने अपने हिस्से पर हमारा कब्जा करा दिया था तब से ही यानि वक्त खरीद दिनांक 11.04.2007 बहक अशोक कुमार वो दिनांक 11.06.2008 बहक मीना कुमारी काबिज है। उक्त आराजी का बेचान प्लाटो में किया गया है तथा मौके पर प्लाट है समस्त पक्षकारान अपने अपने हिस्से के रकबा पर काबिज है। खरीद से पूर्व राजेन्द्र अपने हिस्से पर काबिज था जिसने अपने हिस्से के रकबा पर ही हम प्रति0 को कब्जा दिया है। हम प्रतिवादीगण 1, 2 के आराजी खरीदने से पूर्व हीराजन्द्र विक्रेता व अन्य सहहिस्से दारान के मध्य बहामी बंटवारा हो रहा था तब उक्त बहामी बंटवारा के आधार पर ही हमने आराजी को खरीद किया है तथा क्रय शुदा प्लाटो पर हम काबिज है। बयनामा भी प्लाटो का ही हुआ है। वादीगण द्वारा गलत तथ्यो के आधार पर वाद पेश किया है। जो काबिले खारीज है।

वक्त खरीद से ही हम अपने हिस्से के रकबा पर शान्ति पूर्वक काबिज होकर अपने उपयोग उपभोग में लेते आ रहे है। दिनांक 10.11.2009 की कहानी वादीगन ने बनावटी मिथ्या मनघडन्त दर्ज की है। मिथ्या वाद की आड में वादीगण हमको हमारे खरीद शुद्धा रकबा से जबरन बेदखल कर कब्जा करने की जुस्तजू में है जिनको ऐसा करने का कोई कानूनी हंक अधिकार हांसिल नही है। दावा वादी नाकाबिले पाबन्दी काबिले खारीज है। वाद हेतु दिनांक 10.11.2009 या अन्य कोई तारीख पैदा नही होती है चूंकि प्रतिवादी सं0 1 अशोक कुमार ने विवादित आराजी मे से प्लाट जरिये बयनामा दिनांक 11.04.2007 को खरीद किया है तथा मीना कुमारी ने दिनांक 11.06.2008 को बाकब्जा खरीद किया हुआ है तथा वक्त खरीद से ही हम अपने खरीद शुदा रकबा प्लाट पर काबिज होकर उपयोग उपभोग इस्तेमाल में लेते आ रहे है। इसलिए वाद वादीगण बेरून मियाद काबिले खारीज

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (बलवर)

Scanned by CamScanner

है। प्रतिवादीगण ने विवादित आराजी में से भूखण्ड प्लाट जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 11.04.2007 एवं 11.06.2008 को बाकब्जा राजेन्द्र ने अपने हिस्सा जो उसके बंटवारे में आया हुआ है उस पर कब्जा दिया था। इसलिए आराजी का पक्षकारान के मध्य पूर्व में ही बहामी बंटवारा हो रहा था। इसलिए वादीगण किसी भी प्रकार से विवादित आराजी को तकसीम कराने के अधिकारी नही है आराजी का पूर्व में ही बंटवारा हो चुका है। इसलिए आराजी का अब किसी प्रकार से कोई बटंवारा नही हो सकता है। जब मिन प्रतिवादीगण अपने खरीद शुदा भूखण्ड प्लाट पर वक्त खरीद से काबिज होकर अपने उपयोग मौके पर सभी खातेदारान हिस्सेदारान का अपने हिस्से रकबा पर कब्जा है। इसलिए वाद वादीगण नाकाबिले पाबन्दी काबिले खारीज है। तथा वादीगण किसी प्रकार की कोई रिलीफ प्राप्त करने के अधिकारी नही है।

विद्वांन अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया। तहसीलदार कोटकासिम द्वारा भिजवाये गये विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया एवं कमला देवी द्वारा ऐतराज प्रार्थना पत्र को सुना गया। विभाजन प्रस्ताव पर वादनी कमला देवी के हस्ताक्षर है। इसलिए यह कहना गलत है कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से साजबाज होकर विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है। ऐतराज प्रस्ताव प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है एवं मुताबिक तहसीलदार कोटकासिम द्वारा भिजवाये गये विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा पर हम सहमत है। अतः वादीगण का वाद मुताबिक विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा इस कदर डिक्री किया जाता है कि आराजी ख0न0 1328/2/1 रका 0–06 बीघा वाके ग्राम कोटकासिम में रतनलाल, जीतराम, मुकेश कुमार, सुनिल कुमार पुत्रान जगदीश 1/2 हिस्सा, थावर पुत्र देशुराम 1/2 हिस्सा, कौम माली साकिन देह खातेदार की रहेगी। आराजी खसरा नम्बर 1328/2/2 रकबा 0–15 बीघा वाके ग्राम कोटकासिम में कृष्णा देवी पत्नी बाबूलाल 8/15 हिस्सा कौम अहीर साकिन देह, अनूप पुत्र रामचन्द्र 7/15 हिस्सा कौम खाती साकिन एल. 34 सोन बाजार रोड़ राजांपुरी उत्तम नगर दिल्ली 59 खातेदार की रहेगी। आराजी ख0न0 1328/2/3 रकबा 0–01 बीघा वाके ग्राम कोटकासिम में अशोक पुत्र मूलचन्द कौम खटीक साकिन देह खातेदार की रहेगी। आराजी ख0न0 1328/2/4 रकबा 0–01 बीधा वाके ग्राम कोटकासिम में मीना पत्नी किशोरीलाल कौम खाती सा0 देह खातेदार की रहेगी। आराजी ख0न0 1328/2/5 रकबा 0–13 बीघा कमला देवी पत्नी गंगाराम, दिनेश, जितेन्द्र पुत्रांन गंगाराम, सुनिता, सरोज, मीरा पुत्रीयांन गंगाराम कौम माली सा0 देह खातेदार की रहेगी। आराजी ख0न0 1328/2/6 रकबा 3–04 बीघा वाके ग्राम कोटकासिम में चिरंजी पुत्र केशुराम 57/64 हिस्सा राहिन एस.बी.आई. कोटकासिम, भगवती पुत्री केशुराम 7/64 हिस्सा कौम माली सा0 देह खातेदार की रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 6.8.2019 को टंकित किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

राजकुमार कछवा (R.AS)
उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम(अलवर)

Scanned by CamScanner

(1)

(पर्चा डिक्री)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)
पीठासीन अधिकारी श्री राजकुमार कस्वा आ0ए0एस0

मुकदमा संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
25/19	07.03.2019	06.08.2019
264/09	11.11.09	

1. कमला देवी पत्नी श्री गंगाराम जाति माली
2. दिनेश पुत्र श्री गंगाराम
3. जितेन्द्र पुत्र श्री गंगाराम नाबा. जर्ये सरपरस्त माता खुद कमलादेवी पत्नी श्री गंगाराम जाति माली साकिन कोटकासिम जिला अलवर राज0।

:– वादीगण

:: बनाम ::

1. अशोक कुमार पुत्र श्री मूलचन्द कौम खटीक साकिन कोटकासिम।
2. मीना देवी पत्नि किशोरी लाल जाति खाती साकिन कोटकासिम।
3. चिरंजी लाल
4. रामू
5. थावर पुत्रान केशूराम
6. भगवति पुत्री केशूराम
7. अनूप पुत्र रामचन्दर खाती साकिन एल–34, सोन बाजार रोड राजापुरी उत्तम नगर नई दिल्ली–59
8. कृष्णा देवी पत्नि बाबूलाल जाति अहीर साकिन कोटकासिम
9. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी अधिकारी (लैण्ड होल्डर) तहसीलदार साहब, कोटकासिम जिला–अलवर राज0।

:– असल प्रतिवादीगण

10. सुनीता
11. सरोज
12. मीरा पुत्रीयान गंगाराम कौम माली साकिन कोटकासिम जिला–अलवर

:–तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा तकासमा आराजी बमय हुक्मइम्तनाई दवामी
जेर दफा 53, 188 राजस्थान काश्ताकारी अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. श्री भगवान यादव अभिभाषक वादीगण
2. श्री राजाराम यादव अभिभाषक प्रतिवादीगण

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

अतः वादीगण का वाद मुताबिक विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा इस कदर डिक्री किया जाता है कि आराजी ख0न0 1328/2/1 रका 0–06 बीघा वाके ग्राम कोटकासिम में रतनलाल, जीतराम, मुकेश कुमार, सुनिल कुमार पुत्रान जगदीश 1/2 हिस्सा, थावर पुत्र देशुराम 1/2 हिस्सा, कौम माली साकिन देह खातेदार की रहेगी। आराजी खसरा नम्बर 1328/2/2 रकबा 0–15 बीघा वाके ग्राम कोटकासिम में कृष्णा देवी पत्नी बाबूलाल 8/15 हिस्सा कौम अहीर साकिन देह, अनूप पुत्र रामचन्द्र 7/15 हिस्सा कौम खाती साकिन एल. 34 सोन बाजार रोड़ राजापुरी उत्तम नगर दिल्ली 59 खातेदार की रहेगी। आराजी ख0न0 1328/2/3 रकबा 0–01 बीघा वाके ग्राम कोटकासिम में अशोक पुत्र मूलचन्द कौम खटीक साकिन देह खातेदार की रहेगी। आराजी ख0न0 1328/2/4 रकबा 0–01 बीधा वाके ग्राम कोटकासिम में मीना पत्नी किशोरीलाल कौम खाती सा0 देह खातेदार की रहेगी। आराजी ख0न0 1328/2/5 रकबा 0–13 बीघा कमला देवी पत्नी गंगाराम, दिनेश, जितेन्द्र पुत्रांन गंगाराम, सुनिता, सरोज, मीरा पुत्रीयांन गंगाराम कौम माली सा0 देह खातेदार की रहेगी। आराजी ख0न0 1328/2/6 रकबा 3–04 बीघा वाके ग्राम कोटकासिम में चिरंजी पुत्र केशुराम 57/64 हिस्सा राहिन एस.बी.आई. कोटकासिम, भगवती पुत्री केशुराम 7/64 हिस्सा कौम माली सा0 देह खातेदार की रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 06.08.2019 को टंकित किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

राजकुमार कस्वा (R.AS)
उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम(अलवर)

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner